

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 194वीं बैठक दिनांक 23.05.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री विष्णु चरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री जे. बी. जाखड़, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनिल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाड़ी, अति. मुख्य नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्रीमती ममता राव, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रवीण, उपायुक्त, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त, जोन -14, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरि सिंह मीणा, उपायुक्त, जोन -15, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री बी.एम. माली, सहायक नगर नियोजक, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री मुरलीधर चेजारा, सहायक नगर नियोजक, जोन-15, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री रामस्वरूप सिंह, सहायक नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या :-1

194 / 23.05.2013

विषय:- बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक क्रमांक 193वीं बैठक दिनांक 17.05.2013 को सम्पन्न हुई


बैठको के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या :-2

194 / 23.05.2013 (जोन-8)

विषय:- मैसर्स हरबिंजर रियल्टी एलएलपी जरिये पार्टनर श्री संजय यादव द्वारा निजी खातेदारी की योजना रामेश्वरधाम के भूखण्ड संख्या 11, 12, 19 व 20 कुल क्षेत्रफल 1783.68 वर्ग गज का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में।



प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तावित पुनर्गठन स्वीकृत किया जावे एवं भवन विनियम 2010/2011 के अनुसार पैरामीटर्स रखे जावे। पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या :-3

194/23.05.2013 (जोन-9)

विषय:- महिमा रियल एस्टेट प्रा0लि0 की ग्राम मुरलीपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 340/367, 346, 347/372, 337/369, 348, 344, 345, 336/370, 347 पर सृजित निजी खातेदार योजना महिमा सिटी विले के सुविधा क्षेत्र के आवंटन बाबत।


प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि अनुमोदित मानचित्र में सुविधा क्षेत्र को क्लब हाउस/कम्युनिटी हॉल दर्शित किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 1424.77 व.ग. है। अतः आवेदक कर्ता/खातेदार को नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन के आदेश दिनांक 03.05.2012 के अनुसार आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशी लिये जाकर नियमानुसार आवंटन किया जावे।

एजेण्डा संख्या :-4

194/23.05.2013 (जोन-15)

विषय:- निजी खातेदार मैसर्स एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लि. की आवासीय योजना का संशोधित मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पूर्व में ग्रुप हाउसिंग के ब्लॉक में सृजित आवासीय योजना के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जावे कि जविप्रा द्वारा सेज योजना को अजमेर रोड से जोड़ने के संदर्भ में 400 फिट चौड़ी भू-पट्टी अवापत की गई थी, जिसमें से 200 फिट चौड़ी सड़क व सड़क के दोनों ओर 100 फिट चौड़ाई में आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड सृजित कर योजना तैयार की गई थी। प्रश्नगत योजना को 100 फिट चौड़ी भू-पट्टी में प्रस्तावित भूखण्डों से सम्पर्क सड़क प्राप्त होता है, जिसमें भूखण्ड संख्या 123, 124 व 125 प्रभावित होते हैं। जविप्रा द्वारा इन भूखण्डों का आरक्षण पत्र निजी खातेदार मैसर्स एम्मार एम.जी.एफ लैण्ड लि. को पूर्व में जारी किया जा चुका है। अतः 100 फिट चौड़ी सड़क के अन्तर्गत आने वाले प्रभावित भूखण्डों का क्षेत्र निजी खातेदार से समर्पित करवाया जावे।



अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-1

194/23.05.2013 (जोन-11)

विषय:-आवेदक कमला कुमारी डागा पत्नी श्री विमलचन्द डागा वा अन्य द्वारा ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के भूखण्डों का पुनर्गठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया जविप्रा द्वारा जारी आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के भूखण्ड एवं संरपच ग्राम पंचायत भांकरोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 30, 33, 89, व 90 द्वारा जारी पट्टे एवं नगर निगम जयपुर द्वारा किये गये हस्तांतरण को दृष्टिगत रखते हुये सैद्धान्तिक रूप से पुनर्गठन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जावे कि उपायुक्त जोन द्वारा संरपच ग्राम पंचायत भांकरोटा द्वारा जारी पट्टो के स्वामीत्व के संदर्भ में विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी जावे। पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-2

194/23.05.2013 (जोन-15)

विषय:-यूनिक सिटी ग्राम बगरूखुर्द एवं ठीकरिया तहसील सांगाने की यूनिक सिटी आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तावित योजना को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जावे कि ग्राम बगरूखुर्द के खसरा नं. 142 किरम गैर-मुमकीन रास्ता जिसका स्वामित्व जविप्रा का है, प्रस्तावित योजना में दो तरफ से 12 मीटर सडक दर्शायी गई है, जिसके एवज में आवेदक द्वारा योजना में भूखण्ड संख्या ए-1 से ए-3 तक जिसका कुल क्षेत्रफल 448.69 व.मी. भूमि जविप्रा को समर्पित करने हेतु शपथ-पत्र दिया गया। जिसका विधिवत् जविप्रा के स्वामित्व में लिये जाने बाबत प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति की बैठक से निर्णीत करवाया जावे, तब तक योजना के उस भाग/ब्लॉक जिसमें सरकारी भूमि सम्मिलित है, उसे अनुमोदित नहीं किया जावे।




अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-3
194 / 23.05.2013 (जोन-15)

विषय:-यूनिक सिटी ग्राम बगरूखुर्द एवं ठीकरिया तहसील सांगाने की यूनिक सिटी
आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि
प्रस्तावित योजना नियमानुसार होने के कारण अनुमोदित की जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


30/5/13


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2013/डी- 0231

दिनांक:- 30/5/13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/ (पश्चिम)/ (एलपीसी)/ (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।


30/5/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।